कार्यालयः– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

क्रमांक 06 दिनांकः– 13/11/24

–: खुली निविदा सूचना :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रतिलिपि शाखा जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमंद में वर्ष 2025 के लिए फोटोस्टेट कार्य करने हेतु दर अनुबंध संविदा के आधार पर फोटो कॉपीयर की नियुक्ति की जानी है, जिसका अनुमानित वार्षिक व्यय 4.00 लाख से अधिक रहने की संभावना है।

अतः इच्छुक व्यक्ति/फर्म दिनांक 13.11.2024 से दिनांक 20.11.2024 तक 01.00 बजे तक प्रतिलिपि शाखा से निविदा प्रपत्र राशि रूपये 200/– जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रपत्र दिनांक 20.11.2024 को बाद दोपहर 03.00 बजे तक कार्यालय प्रतिलिपि शाखा में जमा करवाने है, इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले निविदा/प्रार्थनापत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदाएं दिनांक 20.11.2024 को बाद दोपहर 04.00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके लिए अलग से कोई सूचना जारी नहीं की जावेगी। निविदा से संबंधित अन्य विस्तृत शर्तें कार्यालय दिवस एवं समय में व्यक्तिगत रूप से एवं districts.ecourts.gov.in/Rajsamand एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जाकर देखी जा सकती है।

अध्यक्ष
फोटोकॉपीयर्स नियुक्ति समिति
जिला न्यायालय, राजसमन्द

राजसमंद
क्रमांकः–
प्रतिलिपियां निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, राजसमंद।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद के नोटिस बोर्ड हेतु।
3. कार्यालय जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी, कोष कार्यालय/कार्यालय जिला अधीक्षक, राजसमंद के नोटिस बोर्ड हेतु।
4. नगरपरिषद्/जिला परिषद, राजसमंद के नोटिस बोर्ड हेतु।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय को पोर्टल एवं SPPP पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

अध्यक्ष
फोटोकॉपीयर्स नियुक्ति समिति
जिला न्यायालय, राजसमन्द

कार्यालयः– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

निविदा प्रपत्र

01 कार्य का नाम : मुख्यालय राजसमंद स्थित प्रतिलिपि शाखा के दस्तावेजों की छाया प्रतियॉ तैयार करने के कार्य बाबत दर संविदा कलैण्डर वर्ष 2025

02 निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं पता ....
....
....
....

03 निविदा प्रपत्र शुल्क जमा का विवरण :–

रू. 200/– नकद रसीद नं0..**दिनांक** ....

04 बोली प्रतिभूति राशि (**Bid security**) का विवरण :–

रूपये 8000/– डी0डी0/बैंकर्स चैक/रसीद नं0 ....**दिनांक**..................

05 फोन नं./मोबाईल नं. : ....

06 आयकर पैन नं. : ....

(पैन कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)

07 दरें 31.12.2025 तक मान्य होगी।

08 निविदा में अंकित कार्य का अनुमानित व्यय 4.00 लाख से अधिक (राशि रूपये में) हैं।

09 हमारे/मेरे द्वारा निविदा की समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है एव हम/मैं उन पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं/करता हूं।

क्रम संख्या	पेपर साईज	दर प्रथम प्रति	दर द्वितीय प्रति	दर तृतीय प्रति एवं उससे अधिक	कलर दर प्रथम प्रति	कलर द्वितीय प्रति दर

जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजसमन्द (राज.)

बिड की शर्ते :–

1. बोली प्रतिभूति राशि (**Bid security**) के बिना प्राप्त बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. संविदा प्रपत्र, नियम/शर्ते, संविदा से संबंधित दस्तावेज आदि वेबसाईट districts.ecourts.gov.in/Rajsamand एवं www.sppp.rajsathan.gov.in से बिड प्रपत्र **Online Download** कर भरकर प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. बिड प्रपत्र शुल्क कार्यालय में रूपये 200/– नकद जमा करवा दिनांक 20.11.2024 को सांय 05 बजे तक प्राप्त किये जा सकता है। नकद की रसीद बिड प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

4. प्राप्त बिड दिनांक .... को दोपहर 12:00 बजे से उपस्थित बिडदाताओ या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में **"माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के अवकाशागार"** में खोला जाएगा।
5. बिड के साथ में बिड प्रतिभूति रूपये 8000/– डी0डी0/बैंकर्स चैक **DISTRICT AND SESSION JUDGE, RAJSAMAND** के नाम से देय एवं राजसमन्द मुख्यालय पर भुगतान योग्य संलग्न करना अनिवार्य होगा, **GSTIN** पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी **PAN Card** की बिडदाता द्वारा स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
6. उपापन संस्था न्यूनतम दर वाले संविदा को स्वीकार किए जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी संविदा को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकेगी। समस्त मामलों में उपापन कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य रहेगा।
7. बिड प्रपत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान व समय–समय पर किए गए संशोधन भी उक्त संविदा आंमत्रण सूचना पर लागू होंगे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश जिला–राजसमन्द (राज.)

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय फर्म की सील

कार्यालयः– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

निविदा शर्तें

1. निविदा दर मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावेगी।
2. स्वयं के खर्चे पर फोटो स्टेट मशीन न्यायालय परिसर में स्थित प्रतिलिपि शाखा में लगाने एवं स्वयं के खर्चे पर विद्युत व्यवस्था करने वाली फोटोकॉपीयर फर्म को प्राथमिकता प्रदान की जा सकती है। विद्युत व्यव प्रभार तथा अपने संयत्रों की पूर्ण सुरक्षा यथा–बीमा, मरम्मत एवं अनुरक्षण आदि का प्रभार स्वयं फोटोकॉपीयर फर्म को ही वहन करना होगा। यदि फर्म द्वारा फोटो स्टेट मशीन न्यायालय परिसर में स्थित प्रतिलिपि शाखा में स्थापित नहीं की जाती है तो फोटो कॉपीयर फर्म न्यायालय परिसर से 200 गज के दायरे में स्थापित होनी चाहिए।
3. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। इस बाबत् कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमंद द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
4. नियत समय व तारीख के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं को रद्द कर दिया जावेगा।
5. सशर्त दर संविदा स्वीकार नहीं होगी तथा दरें अंको व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
6. दर संविदा दिनांक 31.12.2025 तक मान्य होगी। इसके पश्चात् दोनों पक्षों की सहमति पर दर संविदा अवधि वृद्धि भी की जा सकती है।
7. दर संविदा की जाने वाली फर्म को अपने स्वयं के खर्चे पर राशि 500/– रूप्ये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प–पत्र पर एक अनुबंध पत्र का निष्पादन करना होगा।
8. फोटोस्टेट का कार्य 70 जी.एस.एम. के लीगल साईज पेपर पर करना होगा। घटिया मैटेरियल का प्रयोग नहीं किया जावेगा। एवं कागज का नमूना फर्म की सील मय हस्ताक्षर संलग्न किया जावें।
9. न्यायालय द्वारा आदेशित कार्य को फर्म द्वारा प्राथमिकता से समय पर ही करना होगा जिसमें असफल रहने पर संविदाकर्ता फर्म को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार दण्ड से आरोपित किया जा सकता है।
10. फोटोकॉपी की दरें कागज के एक ओर की ही निविदत्त की जावें। कागज की दोनों ओर फोटोकॉपीयां स्वीकार नही की जावेगी।
11. फोटोस्टेट का कार्य हेतु समस्त रिकार्ड न्यायालय के कार्मिक द्वारा ही उपलब्ध कराया जावेगा एवं फोटोस्टेट कार्य के दौरान रिकॉर्ड की गोपनीयता एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी अनुबंधित फोटोकॉपीयर फर्म की ही होगी। आवश्यकता होने पर अवकाश के दिवस में भी फोटोस्टेट कार्य करना होगा।
12. आदेशित फोटोकॉपीयर फर्म को फोटो स्टेट कार्य का भुगतान प्रतिदिन ही किया जावेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभागीय कार्मिक को राशि प्राप्त होते ही तुरन्त फोटोस्टेट कार्य कर विभागीय कार्मिक को लौटाना होगा।
13. अनुबंधित फोटोकॉपीयर फर्म को फोटो स्टेट कार्य का भुगतान प्रतिदिन ही किया जावेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभागीय कार्मिक को राशि प्राप्त होते ही संभलानी होगी।
14. फोटोकॉपी से प्राप्त आय पर प्रचलित नियमों तहत् कोई कर बनता है तो नियमानुसार स्त्रोत पर कर की काटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा।
15. अनुबंधित फोटोकॉपीयर फर्म द्वारा किसी कारणवश फोटोस्टेट कार्य न कर सकने की स्थिति में अन्यत्र कार्य करवाने की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी अथवा अनुबंधित फर्म की रिस्क एवं कोस्ट पर बाजार से कार्य करवाये जाने पर होने वाले हर्जे–खर्चे का वहन अनुबंधित फोटोकॉपीयर फर्म द्वारा ही करना होगा।
16. निविदा के साथ, हस्तारित निविदादाता द्वारा घोषणा प्रपत्र भी संलग्न करना होगा।
17. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार द्वारा राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित समक्ष न्यायालय में ही प्रवृत्त की जावेगी। उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्थान उपापन एवं पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान यथास्थान लागू होंगे।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है जो हमें स्वीकार्य है, जिसकी सहमति के रूप में निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए है।

सेशन न्यायाधीश ★ जिला–राजसमन्द (राज.)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम...

मोबाइल नं...

निविदादाता द्वारा घोषणा पत्र

न्यायालय के दस्तावेजों की फोटो कॉपी कार्य से संबंधित समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमंद का निर्णय हमारे लिये मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निविदा में चाहा गया कार्य मेरी/हमारी फर्म द्वारा वास्तव में किया जाता है तथा वांछित मान/उपकरण/तकनीकी अनुभव तकनीकी कार्मिक हमारे पास उपलब्ध हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म को, राज्य सरकार/बोर्ड/निगम/स्वायत्तशासी संस्थान/बैंक/विश्वविद्यालय आदि के द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया हुआ है। प्रतीक स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर मैंने/हमने हस्ताक्षर मय फर्म सील कर दिये हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, की जावे तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांकः

जिला एवं सेशन न्यायाधीश ★ जिला राजसमन्द (राज.)

निविदादाता के हस्ताक्षकर मय रबड़ सील

निविदादाता का नाम

दूरभाष नं. (कार्यालय)

(निवास)